UPFR010058542022

Misc. Civil Appeal/23/2022

**Sarla devi and others Vs. uttar pradesh and others**

**न्यायालय-अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं०-04,फर्रूखाबाद।**

उपस्थितः–**डॉ० अनिल कुमार सिहं–II**––––––**एच०जे०एस०।**

**J.O.Code–UP01535**

प्रकीर्ण अपील संख्या–23/2022

सरला देवी आदि **बनाम** उ० प्र० सरकार।

दिनांक 09–01–2025

**निस्तारण प्रार्थना पत्र 10A/1**

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत वाद में वादी/अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 10A/1 इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि" उपरोक्त वाद में वाद पत्र के नक्शे में गलती से अक्षर लिखने से रह गये है जिसका कि लिखा जाना अति आवश्यक है। वाद पत्र के नक्शे में चाहा गया संशोधन निम्नवत् है।

**1–** वाद पत्र के नक्शा नजरी में वादी की खुली आराजी को अक्षर अ, ब, स, द, व बैठक वादी को अक्षर स, द, य, र, से अंकित किया जावे।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र 10A/1 पर विपक्षगण की ओर से कोई भी आपत्ति 12C2 प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि उक्त प्रार्थना पत्र आधारहीन है। प्रार्थना पत्र असत्य कथनों पर आधारित है। प्रार्थना पत्र विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति परिवर्तित हो रही है। प्रस्तावित संशोधन को गुण दोष पर निस्तारित कराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकीर्ण अपील की सुनवाई को लंबित बनाये रखने हेतु मलिन मन्तव्य से संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त अंकित तथ्यों के आधार पर संशोधन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी/अपीलार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में वाद पत्र के नक्शे में गलती से अक्षर लिखने से रह जाना बताया गया है। जिसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत वाद पत्र में उपरोक्त संशोधन चाहा है, जिसपर प्रतिवादी द्वारा घोर आपत्ति करते हुए लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। चाहा गया संशोधन साधारण प्रकृति का है तथा उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति कोई बदलाव नहीं हो रहा है। वाद के उचित न्याय निर्णयन हेतु चाहा गया संशोधन उचित है। अतः इस आधार पर प्रार्थना पत्र 10A/1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों में वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का०सं० 10A/1 में वांछित संशोधन कर अंकित किये जाने योग्य है।

**आदेश**

वादी/अपीलार्थी का प्रार्थनापत्र का०सं० 10A/1 मु० 200 रूपये के हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। उक्त संशोधन प्रार्थना पत्र 10A/1 के प्रकाश में वर्णित वांछित संशोधन अक्षरशः अपील में अन्दर तीन दिन करें। पत्रावली वास्ते सुनवाई अपील हेतु दिनाँक 11.02.2025 को पेश हो।

**(डॉ०अनिल कुमार सिहं–II)**
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं०–04,
फर्रूखाबाद।

Digitally signed by ANIL KUMAR SINGH
Date: 2025.01.09 17:28:21 NPT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court